न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

1. हरलाल पिता सवाईलाल जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. डालु पिता सवाईलाल जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हीरालाल पिता देव जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामा पिता देव जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मांगू पिता भेरा जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) नाम तर्क किया गया
4. शंकर पिता भेरा जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. केशी बेवा भेरा जी जाट, निवासी धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) नाम तर्क किया गया
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. पटवारी हल्का गांव खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मावली प्र.सं. 173 / 2014 दिनांक 09.09.2020

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री शान्तिलाल चपलोत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय रेस्पोन्डेन्ट सं. 6, 7

———:::———

निर्णय **दिनांक 04–01–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 1445, 1446, 1447 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी संख्या 1 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित है, जबकि परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 1444 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी संख्या 2 के नाम स्वतंत्र खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित है एवं परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 1449, 1450, 1451,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:47 IST
Reason: SelfAttested

1452 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा अंकित है। उक्त वर्णित भूमियों एवं आराजी चाह नंबर 1443 पर आने–जाने के लिए रास्ता पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज भूमियों में था, लेकिन दौराने सेटलमेन्ट बिना किसी अधिकार के उक्त रास्ते को खत्म कर दिया गया है तथा हमारी खातेदारी की भूमि में रास्ता अंकित कर दिया गया है, जिससे हमारे खाते की 15 बिस्वा भूमि कम हो गयी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज परिशिष्ट ''स'' की भूमि में से 15 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी 1 व 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09–09–2020 से वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वक्त सेटलमेन्ट बिना किसी अधिकार के रेस्पोन्डेन्टगण के खाते की भूमि में दर्ज रास्ते की भूमि को रेस्पोन्डेन्ट के खाते दर्ज कर अपीलान्टगण के खाते में दर्ज भूमि में रास्ता अंकित कर दिया है, जिससे अपीलान्टगण के खाते में 15 बिस्वा भूमि कम हो गयी है, जो अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज भूमि में से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस संबंध में अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य भी प्रस्तुत की गयी है, जिसके खण्डन रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, क्योंकि वे अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहें हैं, जिससे अपीलान्टगण के वाद में किये गये कथनों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं मानने का कोई आधार नहीं था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलान्टगण का वाद खारिज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:47 IST
Reason: SelfAttested

दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कितना रकबा वादीगण का कम हुआ है जो राजस्व रेकार्ड में दर्शाया गया है। वादी द्वारा संवत् 1984–85, 2023 एवं सन् 1956 का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई स्पष्ट भिन्नता दिखाई नहीं दे रही है, जिससे रकबे के अन्तर को भी समझा नहीं जा सकता है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज किया है। हमारे द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्टगण द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उसके खाते में कितनी भूमि कम हुई है एवं वह किस खाते में गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–09–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

हरलाल पिता सवाईलाल जी जाट, नि0 धोला का धनेरिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **हीरालाल पिता देव जी जाट, नि0 धोला का धनेरिया, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**67 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत...**सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)** .....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....09**.....माह.....**09**.....**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**04**...माह.....**01**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शान्तिलाल चपलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–09–2020 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**04**.....माह.....**01**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:47 IST
Reason: SelfAttested